समक्ष एस. एस. संधावालिया, ए. सी. जे. और एस. एस. दीवान, जे.

सरोज मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर *(डॉ)*- ***याचिकाकर्ता।***

बनाम

पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और अन्य- ***उत्तरदाता।***

***सिविल रिट याचिका सं.* 1977 *का* 3036**

17 जुलाई 1978.

*पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट (*1966 *का 51)— भारत का संविधान* 1950 - *अनुच्छेद* 226 - *चयन समिति की बैठक - कोई कोरम निर्धारित नहीं है - इसके अधिकांश सदस्यों की उपस्थिति - क्या कार्यवाही को मान्य करने के लिए आवश्यक है।*

निर्धारित किया गया कि, वैधानिक नियमों में बड़े निकायों या व्यक्तियों के संघ द्वारा व्यवसाय के लेनदेन के लिए अपेक्षाकृत कम संख्या में कोरम का प्रावधान होता है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम बहुमत को वैधता के साथ अपनी कार्यवाही में भाग लेना होगा। यह इस प्रकार है कि बातचीत भी सच होगी। यदि कोरम की अनुपस्थिति में बहुमत की उपस्थिति ही एक वैध बैठक का गठन करेगी, तो *यह* कहा जा सकता है कि इस तरह के बहुमत की अनुपस्थिति इसकी कार्यवाही को समान रूप से अमान्य कर देगी और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा।

(पैरा 9 और 10)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका *में अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए सर्टिओरारी, मंडामस, क्को वारंटी या किसी अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश की रिट जारी की जाए: –*

I. *मामले के पूर्ण रिकॉर्ड का उत्पादन करने के लिए;*

II. *अनुलग्नक 'पी-2' में आदेश को रद्द किया जाए;*

III. *यह घोषित किया जाए कि* चयन समिति की बैठक पूरी तरह से अमान्य और शून्य थी और समिति को नए सिरे से बैठक करने और याचिकाकर्ता सहित विभिन्न पात्र उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्देश देते हुए एक रिट जारी की जाए;

IV. *यह घोषित किया जाए कि प्रतिवादी संख्या 10* 10 *पद के लिए अयोग्य है और उसे कारण बताने के लिए क्को-वारंट की रिट जारी की जाए कि वह प्रोफेसर के पद को धारण करने के लिए कैसे सक्षम है;*

V. *यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे और वेतन, वरिष्ठता आदि के बकाया के रूप में सभी परिणामी राहत प्रदान कर सकता है और कोई अन्य राहत प्रदान कर सकता है जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के निर्णय के बाद हकदार पाया जा सकता है;*

VI. *याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के तहत आवश्यक पांच दिनों के नोटिस से छूट दी जाए;*

VII. *यह भी प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका के निपटान के लंबित रहने तक, प्रतिवादियों*

को प्रतिवादी संख्या 12 की नियुक्ति करने से रोका जाए। 10;

VIII. *इस रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।*

याचिकाकर्ता की ओर *से जेएल गुप्ता, एडवोकेट।*

डी. एन. अवस्थी, वकील, *उत्तरदाताओं* 1 *से* 3 के लिए।
प्रतिवादी संख्या 10 के लिए *एम.आर. अग्निहोत्री अधिवक्ता।*

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, सी.जे. - (1) रिट याचिकाकर्ता की ओर से जिस प्राथमिक मुद्दे को सफलतापूर्वक उठाया गया है, वह यह है कि किसी समिति के लिए निर्धारित कोरम के अभाव में, कम से कम इसके बहुमत में, सदस्यों को इसकी कार्यवाही को वैधता देने के लिए उपस्थित होना चाहिए। इसलिए, तथ्य केवल इस संदर्भ में ध्यान देने की मांग करते हैं।

(2). डॉ श्रीमती सरोज मेहता अपने अध्ययन के क्षेत्र में काफी अकादमिक विशिष्टता का दावा करती हैं, अर्थात्, बाल रोग। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अकादमिक रूप से खुद को अलग करने के बाद, उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में पोस्ट-डॉक्टरेट प्रशिक्षण प्राप्त किया, और भारत लौटने पर उन्हें पहली बार नवंबर1965 में पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (इसके बाद पीजीआई के रूप में संदर्भित) में बाल चिकित्सा में वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में चुना गया। बाद में उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया और अगस्त, 1976 में इसकी पुष्टि की गई और उक्त पद पर बने रहे।

(3). एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक और पेशेवर कैरियर का दावा करते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अकादमिक योग्यता के साथ-साथ पेशेवर क्षमता दोनों में प्रतिवादी नंबर 10 डॉ. विजय कुमार से कहीं बेहतर है। उत्तरार्द्ध के बारे में कहा जाता है कि वह पहली बार अगस्त, 1971 में सहायक प्रोफेसर के रूप में पीजीआई में शामिल हुए थे, जब याचिकाकर्ता को पहले ही एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा चुका था। अक्टूबर, 1974 में, प्रतिवादी संख्या 10 को पद के नियमित पदाधिकारी डॉ. भाकू की छुट्टी रिक्ति में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, और जब वह वापस लौटे, तो प्रतिवादी नंबर 10 को *एक या दूसरे पद के खिलाफ* तदर्थ *आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जारी रखने में कामयाबी मिली।*

(4). कुछ समय पहले पीजीआई में सामाजिक और निवारक चिकित्सा में प्रोफेसर के पद की एक रिक्ति हुई थी, लेकिन इसे अंततः अप्रैल, 1977 में भरने के लिए विज्ञापित किया गया था। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 10 सहित अन्य लोगों ने उपरोक्त पद के लिए आवेदन किया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पीजीआई एक सांविधिक निकाय और राष्ट्रीय महत्व का एक चिकित्सा संस्थान है जिसे स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1966 के तहत बनाया गया है। उपर्युक्त संविधि और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम *अन्य बातों के साथ-साथ* पीजीआई के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं। संस्थान ने 3 अगस्त, 1977 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त सामाजिक और निवारक चिकित्सा में प्रोफेसर के

पद के लिए पदधारी का चयन करने के उद्देश्य से एक चयन समिति का गठन किया। इस चयन समिति (निश्चित रूप से उत्तरदाता संख्या 3 से 9 शामिल थे) चयन समिति के सात नियमित सदस्यों के अलावा, डॉ सुशीला नायर और जनरल आरएस हून विशेषज्ञों के रूप में इससे जुड़े थे और यह विशेष रूप से कहा गया है कि उनकी भूमिका पूरी तरह से सलाहकार थी और इन विशेषज्ञों को चयन समिति के सदस्यों के रूप में नहीं माना जाना था।

(5). चयन समिति की बैठक 8 सितंबर, 1977 को निर्धारित की गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केवल दो सदस्य, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 डॉ. पी. एन. छुतानी और प्रतिवादी नंबर 4 डॉ. राजेश्वर प्रसाद इस अवसर पर उपस्थित होने आए। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक सहित समिति के शेष पांच सदस्य उपस्थित नहीं थे। उपरोक्त दिन दो विशेषज्ञों के साथ, चयन समिति ने डॉ. विजय कुमार प्रतिवादी संख्या 10 को रिट/याचिकाकर्ता के स्थान पर वरीयता देते हुए चुना। सात में से पांच सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण चयन समिति की कार्यवाही को रिट याचिकाकर्ता की ओर से पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक करार दिया गया है, इसके अलावा अन्य आधारों के लिए संदर्भ अनावश्यक है।

(6). अब यह विवाद से परे है कि सामाजिक और निवारक चिकित्सा में प्रोफेसर के पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार और चयन करने वाली चयन समिति सात व्यक्तियों से गठित की गई थी, अर्थात्, प्रतिवादी संख्या 3 से 9। यह स्वीकार किया जाता है कि उपरोक्त सात व्यक्तियों में से केवल दो सदस्य, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 डॉ. पी. एन. छुतानी और प्रतिवादी नंबर 4 डॉ. राजेश्वर प्रसाद उम्मीदवारों के साक्षात्कार के समय उपस्थित थे। जाहिर ा तौर पर जबकि समिति के चार सदस्यों ने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया, प्रतिवादी संख्या 9 को उस समय छोड़ दिया गया था जब चयन का मामला विचार के लिए आया था। दलीलों पर यह भी स्पष्ट है कि चयन में शामिल दो विशेषज्ञ चयन समिति के सदस्य नहीं थे और उन्हें इस तरह से चयन समिति का सदस्य नहीं माना जा सकता था। यह भी सामान्य मामला है कि क़ानून और नियमों के तहत चयन समिति के कामकाज के संचालन के लिए कोई कोरम या न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है और न ही ऐसी किसी प्रथा का संकेत दिया गया है।

(7). उपर्युक्त परिसर में श्री जे गुप्ता का जोरदार तर्क यह है कि जब तक चयन समिति की कुल सदस्यता का कम से कम बहुमत इसकी किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता है, तब तक इसकी कार्यवाही को किसी भी वैधता का नहीं माना जा सकता है। वकील ने व्यवहार्यता के साथ प्रस्तुत किया कि इसके विपरीत किसी भी दृष्टिकोण से यह परिणाम हो सकता है कि बड़ी संख्या में व्यक्तियों वाली समिति में भी यदि अन्य उपस्थित नहीं होते हैं, तो एक ही व्यक्ति पूरी समिति की ओर से निर्णय लेने का अनुमान लगा सकता है।

(8). प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए श्री डीएन अवस्थी को सिद्धांत रूप में उपरोक्त विवाद को पूरा करने में मुश्किल हुई। उन्होंने तर्क का सहारा नहीं लिया और यदि कोई ऐसा कह सकता है तो यह सुझाव देने की अत्यधिक लंबाई है कि अन्य सभी की अनुपस्थिति में एक भी सदस्य उस समिति का गठन कर सकता है जहां कोई कोरम निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तियों की बहुलता ही सब कुछ है। कानून की आवश्यकता है और यदि ऐसी स्थिति में केवल दो व्यक्ति उपस्थित होते हैं तो यह समिति की एक वैध बैठक का गठन करेगा।

(9). सैद्धांतिक रूप से कोई भी याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क से सहमत नहीं हो सकता है। यह सच है कि वैधानिक नियमों में बड़े निकायों या व्यक्तियों के संघ द्वारा व्यवसाय के लेनदेन के लिए अपेक्षाकृत कम संख्या में कोरम प्रदान किया जाता है। एक सुविधाजनक उदाहरण संसद के प्रत्येक सदन और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रदान किया गया कोरम है। जहां ऐसा कोरम

निर्धारित किया गया है, तो जाहिर है कि निर्धारित संख्या में व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय का लेनदेन मान्य होगा।

(10). इस संबंध में पंजाब विश्वविद्यालय, *चंडीगढ़ बनाम विजय सिंह लांबा आदि* [1] का *संदर्भ दिया जा सकता* है। जिसमें उनके लॉर्डशिप ने 1976 के पूर्ण पीठ मामले में अल्पमत के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए पंजाब और हरियाणा ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्थायी समिति के लिए दो का निर्धारित कोरम पर्याप्त था और यह आवश्यक नहीं था कि समिति के सभी तीन सदस्यों को इसकी सभी कार्यवाहियों में आवश्यक रूप से भाग लेना चाहिए। जबकि उपरोक्त नियम स्पष्ट रूप से उन मामलों में लागू होता है जहां एक कोरम निर्धारित किया जाता है, इसकी अनुपस्थिति में एकमात्र उचित दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम बहुमत को वैधता के साथ अपनी कार्यवाही को पूरा करने के लिए उपस्थित होना होगा। उपर्युक्त दृष्टिकोण को एक निगम की बैठक के संदर्भ में हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, तीसरे संस्करण, खंड 9, पृष्ठ 48 में कानून के निम्नलिखित कथन से प्रत्यक्ष समर्थन मिलता है: -

" **। दूसरे शब्दों में, संविधान में विशेष प्रथा या विशेष प्रावधान के अभाव में, बैठक में प्रमुख भाग उपस्थित होना चाहिए, और उस प्रमुख भाग में विचार किए गए अधिनियम या संकल्प के पक्ष में बहुमत होना चाहिए। इसलिए, जहां एक निगम में तेरह सदस्य होते हैं, वहां एक वैध बैठक बनाने के लिए कम से कम सात उपस्थित होने चाहिए, और इन सात या अधिक संख्या में से बहुमत का कार्य निगम को बाध्य करेगा।

सादृश्य के रूप में उपरोक्त नियम स्पष्ट रूप से चयन समिति के मामले में भी लागू होगा। हालांकि, इस मुद्दे को सीधे तौर पर कवर करने वाला मामला ईश्वर चंद्र बनाम *सत्यनारायण सिरिहा और अन्य*[2], जिसमें सागर विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत गठित एक समिति की कार्यवाही की वैधता को मुद्दा बनाया गया था। अपने तीन सदस्यों में से केवल दो द्वारा आयोजित कार्यवाही की वैधता को बरकरार रखते हुए उनके लॉर्डशिप ने निम्नानुसार देखा: —

* * इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता है कि 4 अप्रैल, 1970 को तीन में से दो सदस्यों द्वारा आयोजित बैठक कानूनी थी क्योंकि सभी तीन सदस्यों को पर्याप्त नोटिस दिया गया था। यदि किसी कारण से या 'उनमें से कोई एक भाग नहीं ले सका, तो यह दूसरों की बैठक को अवैध नहीं बनाता है। ऐसी परिस्थितियों में, जहां कोरम तय करने के लिए कोई नियम या विनियमन या कोई अन्य प्रावधान नहीं है, अधिकांश सदस्यों की उपस्थिति इसे एक वैध बैठक का गठन करेगी और उस पर विचार किए गए मामलों को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है।

उपरोक्त टिप्पणियों से, ऐसा लगता है कि बातचीत भी सच होगी। यदि कोरम की अनुपस्थिति में बहुमत की उपस्थिति एक वैध बैठक का गठन करेगी, तो *यह* कहा जा सकता है कि इस तरह के बहुमत की अनुपस्थिति इसकी कार्यवाही को समान रूप से अमान्य कर देगी और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा। जाहिर है कि उपरोक्त टिप्पणियों से मामले का निष्कर्ष याचिकाकर्ता के पक्ष में निकलता है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील इसके विपरीत किसी भी उदाहरण का हवाला देने या सिद्धांत पर उपरोक्त दृष्टिकोण के खिलाफ किसी भी ठोस तर्क को आगे बढ़ाने में असमर्थ रहे हैं। तदनुसार, मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि सात में से पांच सदस्यों की अनुपस्थिति में चयन समिति

[1] ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1441
[2] ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 1812

की कार्यवाही को वैध या बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है। तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रोफेसर के रूप में प्रतिवादी संख्या 10 का चयन रद्द किया जाता है। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

(11). इस प्राथमिक बिंदु पर याचिकाकर्ता की सफलता को ध्यान में रखते हुए मैं उसकी ओर से उठाए गए अन्य दो तर्कों की जांच करना अनावश्यक समझूंगा, अर्थात्, कि प्रतिवादी नंबर 10 पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करता है और प्रतिवादी नंबर 8 डॉ पीपी गोयल की अनुपस्थिति विशेष रूप से कार्यवाही को खराब करेगी।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी